राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जाँच) विभाग

क्रमांक प. 1(129)कार्मिक/क–3/जाँच/2024 जयपुर, दिनांक

आदेश

डॉ. मनोज खेमदा, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, पूगल, बीकानेर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार डॉ. मनोज खेमदा, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, पूगल, बीकानेर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

डॉ. मनोज खेमदा, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, पूगल, बीकानेर का निलम्बन काल में मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कैलाश चन्द्र कुमावत)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01 संयुक्त सचिव (ए.आर.), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर को उनके बारकोड संख्या एफ 24002195 दिनांक 25.06.2024 के संदर्भ में।

02 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।

03 निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।

04 शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–4/1) विभाग को डॉ. मनोज, खेमदा, आर.ए.एस., के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश डॉ. मनोज,खेमदा, आर.ए.एस.,को तामील कराकर प्राप्ति रसीद शीघ्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें। साथ ही डॉ मनोज, खेमदा, आर.ए.एस., को निलम्बित अधिकारियों हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में भी उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें। इसके अतिरिक्त इन्हें यह भी निर्देशित करें कि वे अपना मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना नहीं छोड़े। डॉ. मनोज, खेमदा, आर.ए.एस., को निलम्बन अवधि में उनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते, के बराबर निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।

05 शासन संयुक्त सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि श्री मनोज, खेमदा, आर.ए.एस., के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.2002 एवं 19.05.2016 के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिपूर्ण प्रस्ताव सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत प्रशासनिक विभाग के माध्यम से शीघ्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

RajKaj Ref
8482648

Signature valid

Digitally signed by Kailash Chandra Kumawat
Designation : Senior Deputy Secretary
Date: 2024.06.29 1?:36:33 IST
Reason: Approved

06 जिला कलक्टर, बीकानेर।

07 डॉ मनोज, खेमदा, आर.ए.एस., (जन्म तिथि 01.07.1982) तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पूगल, बीकानेर (निलम्बित) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़े।

द्वाराः— शासन संयुक्त सचिव
कार्मिक (क—4/1) विभाग।

08 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।

09 शासन सहायक सचिव, कार्मिक (क—1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान जयपुर।

10 कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।

11 कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।

12 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

RajKaj Ref
8482648

Signature valid
Digitally signed by Kailash Chandra Kumawat
Designation : Senior Deputy Secretary
Date: 2024.06.29 1?:36:33 IST
Reason: Approved